
पावर ग्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड



Power Grid Corporation of India Limited सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001



CIN: L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 27 June, 2022

PGCIL/R/E/22/00192

Shri Devesh, POWERGRID Complex,, Near Kiriharapur railway station, Ibrahim Patti, Ballia-221716 Uttar Pradesh

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया.

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 31 May, 2022 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-। में संलग्न है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा। ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in

फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय, (ए. जगन्नाथ राव)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request of Shri Devesh, Ballia, Uttar Pradesh

Information sought:	Reply:
Till year 2022, how many person will be considered under pay protection scheme in Powergrid. List of the beneficiaries clearly mentioned Name, previous organisation, post held in Powergrid during engagement, previous organisation pay structure, pay structure offered by Powergrid, pay structure after consideration of pay protection if any.	The query pertains to a future event and accordingly answer to this query does not qualify as "information" as per clause 2(f) of the RTI Act, 2005. However, the data sought by the applicant is not maintained in respect of pay protection cases on initial appointment.
